निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0 प्र0
2–सप्रू मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक– 952 /बजट–आयोजनेत्तर–2010–11 दिनांक 21 मई, 2010.

1. आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, मेरठ, फर्रूखाबाद एवं लखनऊ।
2. अधीक्षक, राजकीय उद्यान, फैजाबाद।
3. जिला उद्यान अधिकारी, बुलन्दशहर, गाजियाबाद एवं सुल्तानपुर।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान सं0–10 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक–"4401–103–03–रोग रहित आलू के बीज, पौध, काँटेदार बाड़ के खम्भे की लागत प्रासंगिक व्यय सहित योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन विषयक।

उपरोक्त विषयक आप द्वारा की गई माँग के अनुसार शासनादेश सं0–1121/58–2010–174/ 09 दिनांक 13–4–2010 द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष लेखाशीर्षक–"4401–फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनेत्तर– 103–बीज–03–रोग रहित आलू के बीज, पौध, काँटेदार बाड़ के खम्भे की लागत प्रासंगिक व्यय सहित (मै0क्षे0) की योजनान्तर्गत निम्नानुसार शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आवंटन प्रदत्त किया जाता है।

(धनराशि हजार रूपये में)

		कोड संख्या/मद का नाम		
क्र0 सं0	कार्यालय का नाम (जिसे आवंटन प्रदत्त	31 सामग्री/ सम्पूर्ती	42 अन्य व्यय	योग
1	2	3	4	5
1	आ0शा0वि0अ0मेरठ	500.0	1000.0	**1500.0**
2	जि0उ0अ0 बुलन्दशहर	480.0		**480.0**
3	जि0उ0अ0 गाजियाबाद	194.0		**194.0**
4	आ0शा0वि0अ0फर्रूखाबाद	80.0		**80.0**
5	आ0एवं शा0वि0 अ0 लखनऊ	300.0	1500.0	**1800.0**
6	जि0उ0अ0सुल्तानपुर		5.0	**5.0**
7	अ0रा0उ0फैजाबाद		6.0	**6.0**
	योग–	**1554.0**	**2511.0**	**4065.0**

(कुल आवंटित की जा रही धनराशि रू0 चालीस लाख पैसठ हजार मात्र)

शर्ते :–

1– शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों एवं वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 में निहित निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2– भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जायें।

4– बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या बी–1–1195/दस–16/94 दिनांक 06 जून, 1994 एवं शासनादेश संख्या–सी0ए0–1191/दस–2009–मित0–1/2007 दिनांक 26–10–2009 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5– वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–490/दस–2009–231/2009 दिनांक 20 मार्च, 2009 में दी गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जाये। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। जिसके लिए कार्यालयाध्यक्ष आहरण–संवितरण अधिकारी/नियन्त्रक अधिकारी एवं सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

6– निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक मासिक व्यय विवरण निदेशालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाये।

7– व्यय को आवंटन की सीमा तक नियन्त्रित भी रखें ।

8– उक्त आवंटित किया जा रहा बजट, बजट कन्ट्रोल पंजिका के पृष्ठ संख्या–131 पर अंकित है।

(रंजन मिश्र) 21/05/10
वित्त नियन्त्रक।

पृष्ठांकन संख्या– 952 /उक्त दिनांक,

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
3– सम्बन्धित आहरण–संवितरण अधिकारी, आगरा, उ0प्र0।
4– आवंटन पत्रावली/गार्ड फाईल।

(रंजन मिश्र) 21/05/10
वित्त नियन्त्रक।